



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 ज्येष्ठ 1937 (शा०)

(सं० पटना 594) पटना, सोमवार, 25 मई 2015

सं० डी०टी०डी०/डी०२-०४/2010—850

उद्योग विभाग

संकल्प

21 मई 2015

विषय:— औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 (समय—समय पर यथा संशोधित) की कांडिका-२(V)(क) में संशोधन।

राज्य सरकार, बिहार एतद द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 (समय—समय पर यथा संशोधित) की कांडिका-२(V)(क) के अन्त में निम्नलिखित पवित्रियाँ तुरत के प्रभाव से जोड़ने का निर्णय लिया है:—

“उक्त समिति औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 के प्रभावी तिथि 01.07.2011 से विद्युत कनेक्शन लिए वगैर डी०जी० सेट/कैपटिव पावर जेनरेशन से उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों का भी लोड अवधारण करेगी।”

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के प्रधान सचिव।

सं० डी०टी०डी०/डी०२-०४/2010—849

DEPARTMENT OF INDUSTRIES

RESOLUTION

The 21st may 2015

Sub:—Amendment in para-2(v)(a) of the Industrial Incentive Policy, Bihar, 2011 (as amended from time to time).

The State Government of Bihar has hereby decided to add the following lines at the end of para-2(v)(a) of the Industrial Incentive Policy, Bihar, 2011 (as amended from time to time) with immediate effect:-

“The committee will determine the load of industrial units producing from D.G. Set/Captive Power Generation without taking electric connection from 01.07.2011, the effective date of the Industrial Incentive Policy, Bihar, 2011 also”

By order of the Governor of Bihar,

Sd./Illegible,

Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 594-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>